बिमला देवी बनाम हरियाणा राज्य और अन्य
(माननीय न्यायमूर्ति प्रमोद कोहली)

माननीय न्यायमूर्ति प्रमोद कोहली के समक्ष

बिमला देवी, — ***याचिकाकर्ता***

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य — ***उत्तरदाता***

2009 की सीडब्ल्यूपी नंबर 8489

7 जनवरी, 2010

भारत का संविधान,1950 अनुच्छेद 226 अनुकंपा सहायता नियम, 2003 याचिकाकर्ता के पति की कार्यस्थल पर मृत्यु हो गई -याचिकाकर्ता के पुत्र की नियुक्ति का दावा- 1995 की नीति / अनुदेशक की अस्वीकृति, जिसमें याचिकाकर्ता के पति की मृत्यु के समय केवल अनुग्रह नियुक्ति की परिकल्पना की गई थी - 1995 की नीति में वित्तीय अनुदान का कोई प्रावधान नहीं - याचिकाकर्ता द्वारा कोई भी ऐसी चूक या कृत्य नही किया गया है जिसकी वजह से उन्हें सरकारी नीति के लाभ से वंचित किया जाए, जबकि याचिकाकर्ता का बेटा कम से कम चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियुक्ति के लिए पूरी तरह से पात्र था।प्रतिवादी की कार्रवाई पूरी तरह से अवैध, अनुचित और लागू नीति/सरकारी निर्देशों के विपरीत है - याचिका स्वीकार की गई

यह अभिनिर्धारित किया गया है की 8 मई, 1995 को अधिसूचित नीति के तहत, 31 अगस्त, 1995 के परिपत्र द्वारा संशोधित, वित्तीय सहायता देने का कोई प्रावधान नहीं था। याचिकाकर्ता के पुत्र नियुक्ति के दावे को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि मृत्यु की तारीख के 3 साल बाद नौकरी नहीं दी जा सकती है और याचिकाकर्ता के पति की मृत्यु की तुलना में बहुत बाद में जारी की गई 2003 की नीति पर याचिकाकर्ता ने भरोसा किया गया है। यहां तक कि वित्तीय सहायता से भी इनकार कर दिया. उत्तरदाताओं की कार्रवाई पूरी तरह से अवैध, अनुचित और इस उद्देश्य के लिए जारी लागू नीति/सरकारी निर्देशों के विपरीत है। पक्षों का यह स्वीकार किया गया मामला है कि कर्मचारी की मृत्यु 26 अगस्त, 1999 को हुई और याचिकाकर्ता ने 6 दिसंबर, 1999 को अपने पुत्र की नियुक्ति के लिए आवेदन किया। याचिकाकर्ता के दावे की समय-समय पर प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा सिफारिश की गई थी। यह केवल पुलिस महानिदेशक सहित उच्च अधिकारियों के स्तर पर था कि याचिकाकर्ता का दावा 5 साल से अधिक समय तक लंबित रहा जब अंततः 16 जून, 2006 को इसे खारिज कर दिया गया। जवाब में कुछ भी नहीं बताया गया है कि याचिकाकर्ता का दावा क्यों अस्वीकार कर दिया। याचिकाकर्ता का पुत्र चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियुक्ति के लिए पूरी तरह से पात्र था, याचिकाकर्ता व उसके पुत्र द्वारा कोई ऐसा कार्य नही किया गया जिसकी वजह से उन्हें सरकारी नीति के लाभ से वंचित किया जाए । चतुर्थ श्रेणी पद की अनुपलब्धता या दलील को आकस्मिक तरीके से उठाया गया है और यह सही तथ्यों पर आधारित नहीं लगता है। इस बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता कि इतने बड़े राज्य में प्रारंभिक पुलिस विभाग में चतुर्थ श्रेणी का कोई पद उपलब्ध नहीं था। किसी भी मामले में, उत्तरदाताओं के लिए यह अनिवार्य था कि वे याचिकाकर्ता के बेटे को राज्य के किसी अन्य विभाग में चतुर्थ श्रेणी पद पर नियुक्त करने का प्रयास करें। यहां तक कि उत्तरदाताओं द्वारा ऐसा कोई कदम भी नहीं उठाया गया है. सात साल से अधिक समय तक मामला लंबित

रखने के बाद याचिकाकर्ता का दावा खारिज कर दिया गया है. इतना ही नहीं याचिकाकर्ता को आर्थिक सहायता भी देने से इनकार कर दिया गया है। प्रतिवादियों का कृत्य पूर्णतः अवैध है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि

प्रतिवादियों ने मामले को इतने गैर-जिम्मेदाराना तरीके से लिया और याचिकाकर्ता द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों और अभ्यावेदन के बावजूद मृत कर्मचारी का परिवार इतनी लंबी अवधि तक इंतजार करता रहा और अंततः उस राहत से इनकार कर दिया, जिसका परिवार कानूनी रूप से हकदार है।

(पैरा 6)

आर. एन. शर्मा, याचिकाकर्ता के लिए वकील.

आर.के. एस. बराड, अतिरिक्त महाधिवक्ता ,हरियाणा

***न्यायमूर्ति* प्रमोद कोहली (मौखिक)**

1. याचिकाकर्ता बीर सिंह की विधवा है, जो हरियाणा राज्य के पुलिस विभाग में हेड कांस्टेबल के रूप में कार्यरत थे। याचिकाकर्ता के मृत पति की 26 अगस्त, 1999 को नौकरी के दौरान मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के तुरंत बाद याचिकाकर्ता ने अपने बेटे के लिए अनुकंपा नियुक्ति की मांग करते हुए एक आवेदन दिया। याचिकाकर्ता के मामले की सिफारिश प्रतिवादी नंबर 3 ने पुलिस महानिरीक्षक, गुड़गांव रेंज को की थी - अपने पत्र दिनांक 24 दिसंबर, 1999 के माध्यम से याचिकाकर्ता के बेटे को बी ग्रेड क्लर्क के पद पर नियुक्ति देने के लिए, पुत्र मैट्रिक पास और पद के लिए पात्र था। पद के लिए मामला काफी समय तक लंबित रहा। याचिकाकर्ता ने अनुकंपा नियुक्ति (अनुलग्नक पी-3) की मांग करते हुए अपनी वित्तीय स्थिति को व्यक्त करते हुए 18 सितंबर, 2002 को फिर से एक अभ्यावेदन/अनुरोध किया। उपरोक्त अनुरोध के जवाब में याचिकाकर्ता को पत्र दिनांक 15 मई,3 (अनुलग्नक पी-4) द्वारा सूचित किया गया कि अनुकंपा नियुक्ति के नियमों में संशोधन किया गया है और याचिकाकर्ता को 21 मई, 2003 तक किसी भी कार्य दिवस तक कल्याण निरीक्षक, फरीदाबाद के समक्ष उपस्थित होने के लिए कहा गया था। याचिकाकर्ता ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए एक और अभ्यावेदन दिया, जिसे प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा फिर से पुलिस महानिदेशक, हरियाणा को पत्र दिनांक 4 जून, 2003 (अनुलग्नक पी-5) के माध्यम से भेज दिया गया। उपरोक्त अनुशंसा के बाद याचिकाकर्ता द्वारा 26 जुलाई, 2004 को एक और पत्र भेजा गया, जिसे प्रतिवादी संख्या 3 ने अपने पत्र दिनांक 8 दिसंबर, 2004 के माध्यम से पुलिस महानिदेशक को भी भेज दिया। याचिकाकर्ता को प्रतिवादी संख्या 3 से 12 दिसंबर, 2005 को एक संप्रषण (अनुलग्नक पी-8) प्राप्त हुआ, जिसमें उसे 2 लाख रुपये की वित्तीय सहायता के लिए विकल्प देने के लिए कहा गया था क्योंकि अनुकंपा सहायता नियम, 2003 के मद्देनजर, 3 साल के बाद आश्रितों को न तो नौकरी दी जाएगी और न ही वित्तीय सहायता दी जाएगी। उपरोक्त के जवाब में, याचिकाकर्ता ने अपने पत्र दिनांक 30 मार्च, 2006 के माध्यम से पुलिस महानिदेशक से पूछा, यदि उनके बेटे को सरकारी निर्देशों के तहत नौकरी नहीं दी जाती है तो हरियाणा वित्तीय सहायता जारी करे। प्रतिवादी संख्या 3, - दिनांक 16 जून, 2006 के आक्षेपित पत्र के माध्यम से याचिकाकर्ता को सूचित किया कि उसका बेटा नरेंद्र कुमार न तो क्लर्क या कांस्टेबल के पद के लिए पात्र है और न ही चतुर्थ श्रेणी का पद

उपलब्ध है और इसलिए उसका मामला दायर किया गया है। यह वह संप्रषण है, जिसे वर्तमान याचिका में चुनौती दी गई है।

2. उत्तरदाताओं ने जवाबदावे में स्वीकार किया है कि याचिकाकर्ता के पति की 26 अगस्त, 1999 को एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई और याचिकाकर्ता ने 6 दिसंबर, 1999 को आवेदन देकर अपने बेटे नरेंद्र कुमार के लिए नियुक्ति की मांग की। रिट याचिका में उल्लिखित विभिन्न संप्रषण को भी स्वीकार किया गया है। जहां तक रोजगार देने का प्रश्न है, तो यह कहा गया है कि याचिकाकर्ता का बेटा क्लर्क या कांस्टेबल की नौकरी के लिए पात्र नहीं है क्योंकि वह शारीरिक माप में निम्न मानक का है। चतुर्थ श्रेणी पद के संबंध में बताया गया है कि मृत कर्मचारी की मृत्यु की तिथि से 3 वर्ष की समय सीमा के भीतर अनुग्रह योजना के तहत कोई पद उपलब्ध नहीं है। उन्होंने रिट याचिका को खारिज करने की मांग की है.

3. मैंने दोनो पक्षों के विद्वान वकील को सुन लिया है।

4. माना जाता है कि याचिकाकर्ता ने वर्ष 1999 में अपने पति की मृत्यु के चार महीने के भीतर अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया था। प्रासंगिक समय पर यानी उसके पति की मृत्यु के समय याचिकाकर्ता राज्य सरकार की 8 मई, 1995 को अधिसूचित नीति में संशोधन किया गया, जो 31 अगस्त, 1985 के परिपत्र द्वारा लागू था। उक्त नीति का प्रासंगिक उद्धरण इस प्रकार है:

"मुझे उपर्युक्त विषय पर हरियाणा सरकार के परिपत्र संख्या 16/5/1995 जीएस-II, दिनांक 8 मई, 1995 का संदर्भ आमंत्रित करने का निर्देश दिया गया है कि किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु हो जाने पर उसके आश्रित को रोजगार देने की कौन सी नीति है सेवा में निर्धारित किया गया था। इस मामले की सरकार द्वारा आगे जांच की गई है और निम्नलिखित संशोधन/स्पष्टीकरण करने का निर्णय लिया गया है: -

1. नीति जारी होने की तिथि पर लंबित अनुग्रह नियुक्ति के सभी मामलों की जांच की जाएगी और मृतक की मृत्यु की तारीख को ध्यान में रखे बिना,नई पॉलिसी के आलोक में निर्णय लिया जाएगा।

2. कई मामलों में शीघ्र विवाह को देखते हुए विवाहित आश्रित को भी अनुग्रह योजना के तहत नियुक्ति पर विचार किया जाएगा। विवाहित आश्रितों से एक शपथ पत्र लिया जाएगा कि वह मृत कर्मचारी के परिवार की देखभाल करेगा/करेगी। इस उपक्रम को समाज के दो सम्मानित सदस्यों द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए। विवाहित आश्रित तभी पात्र होगा जब परिवार में कोई अन्य योग्य अविवाहित बेटा/बेटी हो।"

5. उपरोक्त नीति के तहत वित्तीय सहायता अनुदान का कोई प्रावधान नहीं था। याचिकाकर्ता के पुत्र की नियुक्ति के दावे को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि मृत्यु की तारीख के 3 साल बाद नौकरी नहीं दी जा सकती है और याचिकाकर्ता के पति की मृत्यु के बहुत बाद में जारी की गई 2003 की नीति पर याचिकाकर्ता द्वारा आश्रय किया गया है। यहां तक कि इस नीति पर आश्रय करके वित्तीय सहायता से भी इनकार

कर दिया। उत्तरदाताओं की कार्रवाई पूरी तरह से अवैध, अनुचित और इस उद्देश्य के लिए जारी लागू नीति/सरकारी निर्देशों के विपरीत है। पक्षों द्वारा यह स्वीकार किया गया मामला है कि कर्मचारी की मृत्यु 26 अगस्त, 1999 को हुई और याचिकाकर्ता ने 6 दिसंबर, 1999 को अपने बेटे की नियुक्ति के लिए आवेदन किया। याचिकाकर्ता के दावे की समय-समय पर प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा सिफारिश की गई थी। यह केवल पुलिस महानिदेशक सहित उच्च अधिकारियों के स्तर पर था की याचिकाकर्ता का दावा 5 साल से अधिक समय तक लंबित रहा अंततः 16 जून, 2006 को इसे खारिज कर दिया गया। याचिकाकर्ता के दावे को कैसे और क्यों खारिज किया जाना है, इसके बारे में जवाबदावे में कुछ भी नहीं बताया गया है। याचिकाकर्ता द्वारा कोई भी ऐसी चूक या कृत्य नही किया गया है जिसकी वजह से उन्हें सरकारी नीति के लाभ से वंचित किया जाए, जबकि याचिकाकर्ता का बेटा कम से कम चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियुक्ति के लिए पूरी तरह से पात्र था। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **अभिषेक कुमार बनाम हरियाणा राज्य और अन्य**[1] के मामले में निम्नानुसार यह निर्धारित किया गया है:

"5. अपीलकर्ता ने उस समय अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की मांग की है जब 2003 के नियम अस्तित्व में नहीं थे। इसलिए, उनके मामले पर उन नियमों के संदर्भ में विचार करने की आवश्यकता थी जो वर्ष 2001 में अस्तित्व में थे। जाहिर है, हरियाणा राज्य में एक राज्य-वार सूची बनाई जाती है। हरियाणा राज्य द्वारा बनाई गई उक्त सूची के अनुसार, अपीलकर्ता अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति प्राप्त करने का हकदार था। उसे राज्य द्वारा ऐसी नियुक्ति की पेशकश की गई थी। जिलाधिकारी ने पद उपलब्ध कराने से इंकार कर दिया था।"

6. यह केवल वह नीति है जो याचिकाकर्ता के पति की मृत्यु के समय लागू थी, यानी 1995 की नीति लागू थी। यहां ऊपर दिए गए प्रासंगिक उद्धरण से, यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट है कि नीति में केवल अनुग्रहपूर्वक नियुक्ति की परिकल्पना की गई है। यद्यपि उक्त नीति के तहत कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई थी। तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता ने अपने पति की मृत्यु की तारीख से 4 महीने के भीतर आवेदन किया था। पॉलिसी का खंड 4 स्पष्ट रूप से तृतीय श्रेणी या चतुर्थ श्रेणी पद पर नियुक्ति का प्रावधान करता है। इसमें यह भी प्रावधान है कि यदि ये पद विभाग के भीतर उपलब्ध नहीं हैं, तो नियुक्ति किसी अन्य विभाग में की जानी चाहिए। यहां ऊपर उल्लिखित उत्तर और विभिन्न संप्रषण से, ऐसा प्रतीत होता है कि उत्तरदाताओं द्वारा याचिकाकर्ता के बेटे को किसी अन्य विभाग में नियुक्त करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया था। अन्यथा भी पुलिस विभाग में चतुर्थ श्रेणी पदों का कोई ब्यौरा नहीं दिया गया है। चतुर्थ श्रेणी पद की अनुपलब्धता की दलील अनौपचारिक तरीके से उठाई गई है और यह सही तथ्यों पर आधारित नहीं लगती है। इतने बड़े राज्य में इस बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता कि पूरे पुलिस विभाग में चतुर्थ श्रेणी का एक भी पद उपलब्ध नहीं था। किसी भी स्थिति में उत्तरदाताओं के लिए यह अनिवार्य था कि वे याचिकाकर्ता के बेटे को राज्य के किसी अन्य विभाग में चतुर्थ श्रेणी पद पर नियुक्त करने का प्रयास करें। यहां तक कि उत्तरदाताओं द्वारा ऐसा कोई कदम भी नहीं उठाया गया है। सात साल से अधिक समय तक मामला लंबित रखने के बाद याचिकाकर्ता का दावा खारिज कर दिया गया है। इतना ही नहीं याचिकाकर्ता को आर्थिक सहायता भी देने से इनकार कर दिया गया है। प्रतिवादियों का कृत्य पूर्णतः

[1] 2007(2) S.C.T. 457

अवैध है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रतिवादियों ने मामले को इतने गैर-जिम्मेदाराना तरीके से लिया और याचिकाकर्ता द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों और अभ्यावेदन के बावजूद मृत कर्मचारी का परिवार इतनी लंबी अवधि तक इंतजार करता रहा और अंततः उस राहत से इनकार कर दिया, जिसका परिवार कानूनी रूप से हकदार है।

7. तदनुसार, यह याचिका स्वीकार की जाती है। उत्तरदाताओं को निर्देश दिया जाता है कि वे याचिकाकर्ता के बेटे नरेंद्र कुमार को तीन महीने की अवधि के भीतर पुलिस विभाग या हरियाणा राज्य के किसी अन्य विभाग में चतुर्थ श्रेणी पद पर नियुक्त करें।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा । विश्वास खटक, प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी (Trainee Judicial Officer) रेवाड़ी, हरियाणा।